राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1734/2010/कोटा

मैसर्स शिवशक्ति बिल्डर्स,
कोटा। .....अपीलार्थी.

बनाम

उपायुक्त (अपील्स),
अजमेर। ....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री अमर सिंह –सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.के.पारीक,
अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री जमील जई,
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 12/05/2014

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 102/वेट/2009–10/कोटा आदेश दिनांक 20.01.2010 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं।

2. प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, कोटा (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा वर्ष 2006–07 के कर निर्धारण दिनांक 24.08.2009 को पारित करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध रूपये 22,048/– की मांग कायम की गयी। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी के द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गयी। परन्तु अपीलार्थी द्वारा विवादित मांग राशि की आवश्यक राशि 10 प्रतिशत पूरी जमा नहीं करायी गयी। उसके द्वारा रूपये 624/– कम जमा कराये गये। अतः अपील को पंजीकृत नहीं किया गया एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा कमीपूर्ति के लिऐ सूचना पत्र दिनांक 20.01.2010 के लिये जारी किया गया। जिसके जवाब में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कोई कमी होना नहीं बताया तथा अपील पंजीकृत कर सुनवाई का अवसर दिये जाने हेतु कथन किया। अपीलीय अधिकारी द्वारा धारा 82(3) के प्रावधानों के अनुरूप 10 प्रतिशत राशि जमा नहीं होने के कारण सुनवाई का अवसर देकर कमीपूर्ति नहीं करने पर अपील खारिज कर दी गयी। अतः आदेश दिनांक 20.01.2010 के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा दिनांक 05.02.2010 को एक रेस्टोरेशन आवदेन पत्र पेश किया गया। जिसको सुनकर अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 05.02.2010 को अस्वीकार कर दिया। जिसके विरूद्ध पुनः एक रेस्टोरेशन आवदेन पत्र दिनांक 08.04.2010 को पेश किया। जिसे भी अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 04.05.2010 के आदेश से खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील पेश की गयी है।

लगातार.....2

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि उनके रेस्टोरेशन आवेदन को अस्वीकार करने में अपीलीय अधिकारी द्वारा भूल की गयी है। उनके अनुसार अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 20.01.2010 को कमीपूर्ति के लिए नोटिस दिया था। अपील सुनवाई की तिथि नियत नहीं की थी, साथ ही बाद में उनके द्वारा शेष राशि रूपये 624/— भी दिनांक 09.02.2010 को जमा करा दी गयी थी। उनके अनुसार रेस्टोरेशन नहीं कर उसके कानूनी अधिकार का हनन हुआ है। अतः अपील स्वीकार कर वाद को अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जावें।

5. विभाग की ओर से उपराजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए अपील को निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी तथा रिकार्ड का अवलोकन किया गया। यहां प्रश्न यह है कि जब मूल अपील पंजीकृत किये जाने योग्य ही नहीं थी तो अपील सुनवाई का अवसर दिये जाने का प्रश्न ही नहीं है। अपीलीय अधिकारी द्वारा रूपये 624/— जमा कराकर कमीपूर्ति करने हेतु नोटिस जारी किया गया था। जिसका डाक द्वारा अपीलार्थी ने जवाब देकर विरोध कर बताया था कि कोई कमी ही नहीं है। जिसके फलस्वरूप अपील को पंजीबद्ध न कर अपील खारिज की गयी थी। अपीलीय अधिकारी का यह निर्णय विधिसम्मत था तथा अपीलार्थी को सुनकर दिया गया था। इसमें Dismiss in default नहीं था जिसे रेस्टोरेशन किया जा सके। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा उचित रूप से रेस्टोरेशन आवेदन पत्र को अस्वीकार किया गया है। अतः रेस्टोरेशन आवेदन को अस्वीकार करने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई विधिक भूल नहीं की है। अतः अपीलार्थी की यह अपील अस्वीकार की जाती है।

7. फलतः अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

12-12-14

(अमर सिंह)
सदस्य